युवा न्याय की दिशा : अपराध से निपटने में किशोर न्यायालयों की भूमिका और सुधार का विश्लेषण

विजय कुमार वर्मा[1]
प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह[2]

सारांश

यह पत्र किशोर न्याय प्रणाली का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें युवा अपराध को संबोधित करने में किशोर न्यायालयों के विकास, कार्य और सुधार पर जोर दिया गया है। पुनर्वास के आदर्श से उत्पन्न, किशोर न्यायालयों को युवा अपराधियों के साथ वयस्कों से अलग व्यवहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो सज़ा के बजाय देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालाँकि, समय के साथ, दंडात्मक उपायों ने प्रणाली में तेजी से घुसपैठ की है, जिससे इसके मूलभूत सिद्धांतों से समझौता हुआ है। समकालीन किशोर न्यायालयों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्रणालीगत पूर्वाग्रह, प्रक्रियागत असंगतताएँ और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य संसाधन। मुख्य हितधारकों-न्यायाधीशों, परिवीक्षा अधिकारियों, परिवारों और सामुदायिक संगठनों की भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, जिससे सिस्टम लक्ष्यों और वास्तविक प्रथाओं के बीच वियोग का पता चलता है। अंत में, यह एक अधिक न्यायसंगत और प्रभावी किशोर न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने में माता-पिता की भागीदारी, शिक्षा, वकालत और प्रणालीगत सुधार के महत्व को रेखांकित करता है। अनुभवजन्य शोध, नीति विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके, यह अध्ययन एक युवा-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है।

कीवर्ड : किशोर न्याय, युवा अपराध, पुनर्वास, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, न्यायालय सुधार।

परिचय

वा न्याय प्रणाली वयस्क न्याय प्रणाली से अलग है। शुरुआती किशोर न्यायालय पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पितृसत्तात्मक और अनौपचारिक मॉडल पर आधारित थे। पहला विशेष किशोर न्यायालय 1899 में शिकागो में स्थापित किया गया था, और जल्द ही पूरे अमेरिका में फैल गया। शुरू में राज्य का हस्तक्षेप केवल विशिष्ट अपराधों पर आधारित था, लेकिन बाद में यह युवाओं की स्थिति (जैसे उपेक्षा, गरीबी) पर भी आधारित हो गया। किशोर न्यायालयों ने बच्चों के साथ वयस्कों से अलग व्यवहार किया, और पारंपरिक कानूनी सुरक्षा उपायों (जैसे वकील, जूरी परीक्षण, आदि) को किशोरों के लिए अनुपयुक्त माना गया।

परिवीक्षा जांचकर्ताओं और न्यायालयों की सिफारिशों में विविधता थी, जो अपराध के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण को दर्शाती थी। कुछ न्यायाधीशों और अधिकारियों ने अपराध को सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम माना और पुनर्वास पर जोर दिया, जबकि अन्य ने दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाया, युवाओं को केवल नियंत्रण की आवश्यकता के रूप में देखा। जिन्हें औपचारिक रूप से "अपराधी" माना जाता था, उन्हें पुनर्वास के रूप में नहीं देखा जाता था।

"देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों" बच्चों को तकनीकी अपराधी माना जाता था और उनके अधिकार सीमित थे। अन्य विकल्प उपलब्ध होने पर भी उन्हें आश्रय गृहों या हिरासत केंद्रों में रखा जाना आम बात थी। परिवीक्षा जांच व्यापक और मनमानी थी, जिसमें घर के दौरे, रिकॉर्ड जांच और सामाजिक इतिहास के माध्यम से बच्चे की मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति का विवरण एकत्र किया जाता था।

किशोर न्यायालयों का ऐतिहासिक अवलोकन

किशोर न्यायालयों की भूमिका को समझने के लिए उनके विकास के इतिहास को जानना ज़रूरी है। 1899 में इलिनोइस में स्थापित पहला किशोर न्यायालय वयस्क न्याय प्रणाली से मौलिक रूप से अलग और क्रांतिकारी था। यह इस विश्वास पर आधारित था कि बचपन वयस्कता से एक अलग अवस्था है, और बच्चों को उनकी अपरिपक्वता के कारण विशेष सुरक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय का कामकाज अनौपचारिक, गोपनीय और पुनर्वास-उन्मुख था। न्यायाधीश एक अभिभावक की तरह

[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
[2] प्राचार्य, टीएमसीएलएलएस, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

काम करते थे, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए पुनर्वास योजनाएँ बनाते थे।

बचपन को एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा के रूप में देखते हुए, विकलांग या अपराधी युवाओं के संदर्भ में इसका स्वरूप भिन्न होता है। बाल संरक्षण आंदोलन और किशोर न्यायालयों ने मुख्य रूप से इस "विकृत बचपन" को नियंत्रित करने और अपराध को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि बच्चों को अपराध से बचाने के तरीके खोजने पर। इस अवधारणा ने किशोर न्यायालय को एक आदर्श और स्थायी संस्था के रूप में स्थापित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में, समाज ने किशोरों और न्यायालयों को सामाजिक परिवर्तनों से बचाने की कोशिश की, जो युवा अपराध के बारे में समाज की शुरुआती सोच को दर्शाता है।

युवा न्याय में सैद्धांतिक रूपरेखाएँ

न्याय के सिद्धांत यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि युवा अपराध का सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इन सिद्धांतों का लगातार विश्लेषण किया जाता है और अदालत और शिक्षा जगत में उन्हें चुनौती दी जाती है। ये सिद्धांत अक्सर ओवरलैप होते हैं, जिससे व्यावहारिक समझ जटिल हो जाती है। दंड के उद्देश्य और औचित्य अपराध विज्ञान में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक हैं। पिछले 30 वर्षों में, दंडात्मक प्रतिक्रियाओं की आलोचनात्मक जांच बढ़ती जा रही है। प्राचीन काल से ही दंड को न्याय व्यवस्था का अंग माना जाता रहा है, लेकिन युवा अपराध के संदर्भ में इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है। जबकि युवाओं की मानसिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता उन्हें वयस्कों की तुलना में कम दोषी और अधिक कमजोर बनाती है, दंडात्मक प्रतिक्रियाएं अभी भी हावी हैं। युवा न्याय व्यवस्था में नस्लीय, जातीय और लिंग आधारित पूर्वाग्रह भी मौजूद हैं, जो नीति और व्यवहार के बीच असंतुलन को दर्शाते हैं। इसलिए, केवल गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सभी प्रकार के युवा अपराध को समग्र दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।

1. पुनर्स्थापनात्मक न्याय सिद्धांत

पुनर्स्थापनात्मक न्याय एक प्राचीन दर्शन है जिसका आधुनिक आपराधिक न्याय में उपयोग बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य अपराधी को केवल दंडित करने के बजाय अपराध के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को समझना और उसकी मरम्मत करना है। यह दृष्टिकोण मानता है कि अपराध का शिकार न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित होता है, और अपराधी स्वयं एक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से होता है। इस मॉडल में सभी पक्षों की जरूरतों और भावनाओं को समझकर सामूहिक उपचार और पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। किशोर न्याय प्रणाली पारंपरिक रूप से चार-चरणीय प्रक्रिया का पालन करती हैः गिरफ्तारी, न्यायनिर्णयन, दोषसिद्धि और उपचार। यह ढांचा अपराध को नियंत्रित करने में प्रभावी है, लेकिन सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों की उपेक्षा करता है, जिससे पीड़ित हाशिए पर और अपराधी शक्तिहीन महसूस करता है। एक नया चौथा चरण- पुनर्वास- जोड़ा गया है, लेकिन इससे वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। अमेरिका में कई किशोर इस प्रणाली में उलझ जाते हैं, जो अक्सर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना देता है। पुनर्वास प्रयासों के बावजूद, यह एक अधूरी और दोषपूर्ण न्याय प्रणाली की ओर इशारा करता है।

2. प्रतिशोधात्मक न्याय के दृष्टिकोण

हाल के वर्षों में, पुनर्वास-आधारित किशोर न्याय प्रणाली के बारे में संदेह बढ़ा है। जिसे कभी बच्चों के हितों के रक्षक के रूप में देखा जाता था, उसे अब अक्सर दमनकारी और यथास्थिति को बनाए रखने वाला माना जाता है। पुनर्वास के असफल परिणामों ने इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। कई क्षेत्रों में, किशोर न्यायालयों की संरचना वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली की तरह हो गई है, जिसमें दंड और नैतिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। जबकि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण किशोरों को उनकी मासूमियत और सीमित जिम्मेदारी के आधार पर देखता था, अदालतों ने अब कठोर दंडात्मक प्रक्रियाओं को अपनाया है। अतीत में, किशोरों को कलंक, आपराधिक जांच और सजा से बचाने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब यह दृष्टिकोण बदल गया है। फिर भी, यह भी स्वीकार किया जाता है कि किशोरों में नैतिक परिपक्वता की कमी है, जिससे उन्हें दोषी ठहराने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

किशोर न्यायालयों की वर्तमान संरचना

किशोर न्यायालयों की स्थापना "पैरेंस पैट्रिया" सिद्धांत पर हुई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को दंडित करने के बजाय पुनर्वास और उपचार प्रदान करना था। न्यायाधीशों को व्यापक विवेकाधिकार दिए गए थे ताकि वे प्रत्येक युवा की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकें और समाजहित में विकल्प चुन सकें। लेकिन व्यवहार में, किशोर न्यायालय अपने परिकल्पित आदर्श से भटक गए। युवाओं को "अपराधी" मानने की बजाय, उन्हें अधिकारियों से टकराव के आधार पर दोषी ठहराया गया। पुनर्वास प्रयासों की विफलता के कारण दंड की मांग बढ़ने लगी, और अदालतों द्वारा सुझाया गया मानसिक स्वास्थ्य उपचार भी देखभाल से अधिक सज़ा के रूप में देखा जाने लगा। अंततः, युवाओं को दूरस्थ संस्थानों में भेजे जाने की प्रवृत्ति ने पुनर्वास की जगह दंडात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।

न्यायालय की प्रक्रियाएँ

किशोर न्यायालय की प्रक्रिया को समझने के लिए, इसकी शब्दावली और संरचना को जानना महत्वपूर्ण है। वयस्क प्रणाली के विपरीत, किशोर न्यायालय में एक "याचिका" दायर की जाती है, जिसमें अपराध के बारे में जानकारी और किशोर का विवरण होता है। याचिका

पर परिवीक्षा अधिकारी या जिला अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि किशोर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसे सुनवाई से पहले हिरासत में लिया जा सकता है। किशोरों के लिए हिरासत केंद्र वयस्क जेलों से अलग होते हैं और अधिक स्वतंत्रता और देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हैं। गिरफ्तारी के समय एक जोखिम मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें किशोर का इतिहास, जनसांख्यिकीय विवरण, हिरासत की स्थिति आदि दर्ज की जाती है। किशोर अभियोग में "दोषी" या "दोषी नहीं" होने का दावा नहीं करता है, बल्कि "सच्चा" या "झूठा" होने का दावा करता है। यदि किशोर झूठा दावा करता है, तो मामला किशोर परीक्षण में चला जाता है, जिसे जूरी के बिना एक न्यायाधीश द्वारा संचालित किया जाता है।

किशोर न्याय नीतियों का प्रभाव

किशोर न्याय नीति में बढ़ती कठोरता ने युवा अपराध के प्रति त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया की संभावनाओं को कम कर दिया है। मीडिया और बजट नीतियों के प्रभाव में दंडात्मक दृष्टिकोण हावी हो गया है, जिससे पुनर्वास संबंधी चर्चाएँ कमज़ोर हो गई हैं। किशोर अपराध के इर्द-गिर्द डर का माहौल बना हुआ है, जिससे अदालतों पर कठोर दंड लगाने का दबाव बढ़ रहा है। नतीजतन, पुनर्वास और सामुदायिक सेवा जैसे मानवीय विकल्पों में कमी आई है, जबकि मौद्रिक दंड और बर्खास्तगी में वृद्धि हुई है। आर्थिक असमानता और युवा लोगों की कमज़ोरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हालाँकि कुछ मीडिया पुनर्वास की संभावना को उजागर करते हैं, लेकिन दंडात्मक दृष्टिकोण अभी भी व्यापक नीति पर हावी है।

1. शून्य सहनशीलता नीतियाँ

"शून्य सहनशीलता" नीति स्कूल अनुशासन में न्यायसंगत होने का दावा करती है, लेकिन निलंबन, निष्कासन या पुलिस के पास भेजने जैसी सज़ाएँ व्यवहार की गंभीरता की परवाह किए बिना दी जाती हैं। हालाँकि इसे निष्पक्ष कहा जाता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि यह नीति नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, अश्वेत छात्रों को प्रिंसिपल के पास भेजे जाने की संभावना श्वेत छात्रों की तुलना में दोगुनी है, भले ही सज़ा समान हो। यह नीति अश्वेत और लैटिनो छात्रों के किशोर न्यायालय में शामिल होने की संभावना को भी बढ़ाती है, खासकर जब स्कूलों को पुलिस स्टेशन में बदल दिया जाता है। व्यक्तिपरक आरोप - जैसे "अनादर" या "अवज्ञा" - अश्वेत छात्रों पर असंगत रूप से लगाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, "स्कूल व्यवधान" मामलों में आरोपी बनाए गए लोगों में से 69% अफ्रीकी अमेरिकी छात्र थे, और उन्हें जेल की सज़ा भी अधिक मिलती है।

2. डायवर्सन कार्यक्रम

कभी-कभी माता-पिता, शिक्षक या पुलिस अधिकारी ऐसे किशोरों को डायवर्सनरी कार्यक्रमों में भेजते हैं, जो अपराध के जोखिम में होते हैं। ये कार्यक्रम अपराध के खिलाफ एक सक्रिय उपाय हैं।

इनका उद्देश्य युवाओं और उनके माता-पिता के बीच संचार को बढ़ावा देना, भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना और परिवारों को एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। यह प्रक्रिया किशोर अपराध को एक बड़े परिवार या सामाजिक चुनौती के संकेत के रूप में देखती है, जिससे समस्या की जड़ों को समझने और उसे ठीक करने में मदद मिलती है।

किशोर डायवर्सन कार्यक्रम तब शुरू किए जाते हैं जब कोई युवा पहली बार किशोर न्याय प्रणाली के संपर्क में आता है। यदि अपराध हल्का हो और पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न हो, तो उसे औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया से हटाकर डायवर्सन की ओर भेजा जा सकता है।

- इन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  1. न्यायालय के रिकॉर्ड से कलंक से बचाना,
  2. परिवार और समाज में बेहतर समायोजन कराना,
  3. न्याय व्यवस्था की लागत घटाना, कार्यक्षमता बढ़ाना।
- ये कार्यक्रम विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे:
  1. स्कूल से निष्कासन के स्थान पर जवाबदेही योजनाएँ,
  2. प्रारंभिक चरण में परिवारों से संवाद और हस्तक्षेप,
  3. जिला अटॉर्नी या स्थानीय एजेंसी द्वारा रेफरल।

कुछ कार्यक्रम सीधे न्यायालय से जुड़ते हैं और युवाओं को हिरासत से बचाने या सज़ा की योजना को कम करने का विकल्प देते हैं।

3. कारावास बनाम पुनर्वास

किशोर न्यायालयों की स्थापना का मूल उद्देश्य युवाओं का उपचार और पुनर्वास करना था। लेकिन हाल के वर्षों में, सवाल उठाए गए हैं कि क्या उनका प्राथमिक उद्देश्य अभी भी पुनर्वास है या क्या यह सज़ा और सामुदायिक सुरक्षा बन गया है।

"सख्ती अपनाओ" जैसे आंदोलनों और नए विधायी परिवर्तनों ने गंभीर अपराध करने वाले किशोरों को न्यायालय के दायरे में लाकर पुनर्वास की भावना को कमज़ोर कर दिया है। "शून्य सहनशीलता" की नीतियाँ अपनाई गई हैं, खासकर स्कूलों में, यहाँ तक कि छोटे-मोटे अपराधों या पहली बार अपराध करने वालों के लिए भी, जिससे न्यायालय की भूमिका पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में, किशोरों को वयस्क आपराधिक न्यायालयों में स्थानांतरित करना किशोर न्याय नीति में सबसे अधिक बहस और शोध किए गए मुद्दों में से एक रहा है। अधिकांश अध्ययनों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्या न्यायाधीशों के निर्णय युवाओं के पुनरावृत्ति की संभावना या उनके व्यवहार के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं।

अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि वयस्क न्यायालयों की दंडात्मक प्रणाली और किशोर न्यायालयों के

पुनर्वास-आधारित दृष्टिकोण के बीच बहुत बड़ा अंतर है। किशोरों को वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरित करने से उनके पुनर्वास की संभावना कम हो जाती है। समय के साथ, किशोर न्यायालयों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई और कई राज्यों में डायवर्सन कार्यक्रमों और पुनर्वास-आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ावा दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, शुरू में किशोर न्यायालय ज़्यादातर गंभीर अपराधों तक ही सीमित थे, लेकिन सुधारों के साथ इसकी भूमिका और दायरा दोनों बढ़ गए हैं।

- **हाल ही में विधायी परिवर्तन**

1996-97 के दौरान एरिज़ोना राज्य ने किशोर न्याय प्रणाली में कई विधायी बदलाव किए। इन सुधारों का उद्देश्य युवाओं के साथ कठोर व्यवहार को बढ़ावा देना था:

1. कुछ मामलों में किशोरों को वयस्क न्यायालय में भेजने की न्यूनतम आयु घटाई गई।
2. पहले अवसर पर अपराध करने वाले युवाओं के लिए भी दंड सख्त किया गया।
3. सबूतों की प्रक्रिया में बदलाव कर, किशोरों को खतरनाक अपराधी घोषित करना आसान बनाया गया।
4. याचिका दाखिल करने की समय-सीमा में बदलाव और संस्थानों की स्थिति रिपोर्टिंग मानकों को बदला गया।

- **संवैधानिक चिंताएँ :** कुछ नए कानून अत्यधिक व्यापक हैं और अस्पष्ट भाषा में लिखे गए हैं, जिससे किशोरों के अधिकारों का हनन हो सकता है। विशेष रूप से वयस्क अदालत में स्थानांतरित किशोरों के खिलाफ सबूतों के इस्तेमाल को लेकर विवाद है।
- **राजनीतिक प्रभाव:** ये परिवर्तन एरिज़ोना अटॉर्नी जनरल कार्यालय के प्रभाव से प्रेरित थे, जिससे कानूनी प्रणाली में सत्ता संतुलन और निष्पक्षता पर सवाल उठे।

समुदाय-आधारित विकल्प

पिछले दशक में किशोर न्याय नीति में बदलाव आया है—1980 और 1990 के दशक की "सख्त" नीति की जगह अब सामुदायिक-आधारित सुधार ने ले ली है। पारंपरिक संस्थागत देखभाल से हटकर, अब निजी और स्थानीय स्तर पर चलने वाले कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया जा रहा है।

एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 16 प्रमुख शहरों में निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

- यह कई सवाल खड़े करता है:
  a. निजी बनाम सार्वजनिक सेवा?
  b. लाभ आधारित बनाम गैर-लाभकारी संगठन?
  c. क्या निजी सेवाओं को वही अधिकार मिलने चाहिए जो सार्वजनिक सेवाओं को मिलते हैं?
- **लाभ :**
  a. सामुदायिक कार्यक्रमों से युवाओं का पुनर्वास बेहतर होता है।
  b. पुनरावृत्ति दर घटती है।
  c. सेवाएं सस्ती होती हैं और परिवारों को एकजुट रखती हैं।

किशोर न्यायालयों के सामने चुनौतियाँ

आज के किशोर न्यायालय कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जहाँ पहले इनका उद्देश्य पुनर्वास और कानूनी कलंक से सुरक्षा था, वहीं अब वे अधिकतर दंडात्मक हो गए हैं।

a. किशोरों का वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरण बढ़ रहा है।
b. निजता और डायवर्जन नीति कमजोर हुई है।
c. रिकॉर्ड सार्वजनिक होने, सख्त सजा और कठोर प्रक्रिया अब आम बात है।

इससे किशोरों का "नागरिक जोखिम" बढ़ गया है — यानी वे वयस्कों जैसी कानूनी प्रक्रिया और सजा का सामना कर रहे हैं।

हालांकि अब भी समय है कि किशोर न्याय में व्यापक और परियोजना-आधारित सुधार एजेंडा को अपनाया जाए, ताकि यह प्रणाली अपने मूल उद्देश्य यानी किशोरों के पुनर्वास और भविष्य सुधार की ओर लौट सके।

1. भीड़भाड़ और संसाधन आवंटन

किशोर हिरासत प्रणाली में भीड़भाड़, अपर्याप्त संसाधन, और प्रभावहीन पुनर्वास कार्यक्रम प्रमुख समस्याएँ हैं। कई बार युवाओं को गैर-राज्य या विदेशी संस्थानों में भेजना पड़ता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। हालाँकि पुनर्वास के प्रयास आवश्यक हैं, पर यदि ये प्रभावशाली न हों, तो वे भीड़भाड़ कम करने में असफल रहते हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों में सुधार प्रयास अधिक कठिन साबित हो रहे हैं, और जहां सुधार हुए हैं, वहाँ भी प्रगति अस्थायी हो सकती है।

स्थानिक स्तर पर, न्यायालय और निरोध केंद्रों के बीच समन्वय की कमी है, और राज्य स्तर पर, नई तकनीकों से डाटा तो जुटाया जा रहा है, लेकिन उसके आधार पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन अभी भी अपर्याप्त है।

2. न्यायालयों में तकनीकी एकीकरण

विघटनकारी नवाचारों ने वैश्विक न्यायालयों के कामकाज को बदला है। वेबकैम, लैपटॉप और आभासी सुनवाई जैसे माध्यमों ने तब भी न्यायिक प्रक्रिया को जारी रखा जब आमने-सामने की उपस्थिति संभव नहीं थी। कई बदलाव अब स्थायी हो चुके हैं, जिनके गंभीर प्रभाव न्याय प्रशासन पर पड़े हैं। आधुनिक न्यायालयों में टेक्नोलॉजी का समावेश, जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस, वीडियो कैमरा, डिस्प्ले स्क्रीन आदि, सभी न्यायिक भूमिकाओं को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका सहित अन्य देशों में न्यायालय के डिज़ाइन और कार्यप्रणाली में विविधता देखी जाती है।

इस तकनीकी एकीकरण में सबसे बड़ी चुनौती है – न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखना। भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा और संतुलन आवश्यक है, ताकि तकनीकी नवाचार न्याय की वैधता और जनविश्वास को कमजोर न करें।

किशोर न्याय में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका

किशोर अपराधियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हैं, लेकिन शैक्षिक और किशोर न्याय प्रणालियाँ उनकी ज़रूरतों को अलग-अलग और असंबद्ध तरीकों से संबोधित करती हैं। अक्सर, युवा लोगों को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या उपचार के बिना न्याय प्रक्रिया में लाया जाता है। न्यायालय और परिवीक्षा प्रणालियाँ भी नियमित पूर्व-रिहाई मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान नहीं करती हैं। इससे समस्या और बढ़ जाती है और युवा लोगों का व्यवहार खराब हो सकता है।

समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सभी हितधारक सामूहिक ज़िम्मेदारी लें और एक संवेदनशील, संसाधनपूर्ण और एकीकृत उपचार मॉडल अपनाएँ। इससे युवा लोगों को बेहतर देखभाल मिल सकती है और सामाजिक-आर्थिक बोझ भी कम हो सकता है (फ्रैट, 2017)।

1. मूल्यांकन और उपचार

किशोर न्याय प्रणाली में जोखिम और पुनर्वास आवश्यकताओं का मूल्यांकन मुख्य रूप से पुनः अपराध की संभावना और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर केंद्रित होता है (Scott & Grisso, 1997)।

हालाँकि अधिकांश राज्य ऐसे मूल्यांकन उपकरण प्रदान करते हैं, उनकी गुणवत्ता और उपयोग में भारी अंतर है। जोखिम मूल्यांकन युवाओं के अपराध दोहराने की प्रवृत्ति बताते हैं, जबकि सहायक मूल्यांकन सुधार की दिशा में आवश्यक क्षेत्रों को दर्शाते हैं। लेकिन इन मूल्यांकनों का न्यायालयों द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इन प्रणालियों का मानकीकरण और प्रभावी उपयोग ज़रूरी है ताकि उपचार सेवाओं के लिए सही रेफरल और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित हो सके (Gebo, 2002)।

2. मानसिक स्वास्थ्य का अपराध पर प्रभाव

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, जैसे अवसाद और चिंता, किशोरों के अपराधों—विशेषकर हिंसक अपराधों—से जुड़ी होती हैं (Stoddard-Dare et al., 2011)।

किशोर न्याय प्रणाली में मानसिक विकारों वाले युवाओं की भागीदारी सामान्य आबादी की तुलना में अधिक है।

इस जानकारी का उपयोग न्यायाधीश और परिवीक्षा अधिकारी युवाओं को उचित सेवाओं और संसाधनों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं, जिससे न्यायालय की भागीदारी को रोका जा सकता है।

- मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक समस्याएँ और किशोर न्याय
  a. अवसाद व चिंता से पीड़ित किशोरों के हिंसक अपराध में हिरासत में जाने की संभावना 340% तक बढ़ जाती है, जबकि सीखने या आचरण विकार वाले किशोरों में यह जोखिम 200% तक बढ़ जाता है।
  b. शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक युवाओं को पहली गिरफ्तारी में भी ज्यादा हिरासत में लिया जाता है, जिससे न्यायिक असमानता झलकती है।
  c. व्यवहारिक समस्याओं जैसे ध्यान की कमी और आवेगशीलता को नजरअंदाज किया जाता है।
  d. समस्या की पहचान और समय पर हस्तक्षेप से डायवर्जन सुधार, पुनरावृत्ति में कमी और निवारक सेवाओं से जुड़ाव संभव है।
- किशोर न्याय में माता-पिता की भूमिका
  a. कानून के साथ संघर्ष कर रहे किशोरों के माता-पिता अक्सर असहाय, गिल्ट और चिंता में होते हैं। वे या तो कठोर नियंत्रण अपनाते हैं या देखरेख में कमी कर बैठते हैं।
  b. अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक पालन-पोषण, जैसे गर्मजोशी, निगरानी और संवाद, किशोरों के असामाजिक व्यवहार को रोक सकता है।
  c. किशोर लड़कियाँ माता-पिता को बहुत सख्त मानकर विद्रोही हो जाती हैं।
  d. नैतिक दिशा, मूल्य आधारित मार्गदर्शन, और सक्रिय सहभागिता ही किशोर अपराध रोकने में सबसे कारगर उपाय हैं।

परिवारों के लिए सहायता प्रणाली

किशोर न्यायालयों की स्थापना बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि सुरक्षित और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से हुई थी। इन्हें बच्चों के दुर्व्यवहार को "आपराधिक" के बजाय सहायता आधारित दृष्टिकोण से देखने के लिए बनाया गया था। समय के साथ, कई किशोर न्यायालय "मिनी-आपराधिक" अदालतों में बदल गए हैं, जहाँ कारावास और दंड पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा। इसके कारण हल्के अपराधों को भी गंभीरता से लिया जाने लगा। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में विकल्प आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है – जैसे डायवर्शन, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, शिक्षा और पारिवारिक भागीदारी, जो अधिक प्रभावी साबित हुए हैं। इससे पुनरावृत्ति में कमी, क्रोध में नियंत्रण और सकारात्मक सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि देखी गई है (गेबो, 2002)।

शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम किशोर अपराध रोकथाम की समग्र रणनीति का अहम हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य स्कूली बच्चों, युवाओं और आम जनता को किशोर अपराध से जुड़े कारकों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देना है। यह कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाकर, बच्चों और हितधारकों को सकारात्मक सोच और व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं (ऐनी लेबे, 2015)।। शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम आमतौर पर नैतिक विकास और अवैध व्यवहार के परिणामों पर केंद्रित होते हैं, पर इनके डिज़ाइन, प्रस्तुति और प्रभावशीलता पर कम ध्यान दिया जाता है। व्याख्यान-आधारित तरीकों की बजाय मीडिया आधारित प्रस्तुतियाँ अधिक प्रभावी साबित हो सकती हैं। किशोर न्याय प्रणाली की जानकारी की कमी से जुड़ी गलत धारणाएँ युवा अपराधियों के प्रति भय और कठोर दंड की माँग को बढ़ा सकती हैं। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रम सही सामाजिक दृष्टिकोण बनाने और 'नैतिक आतंक' से बचने में सहायक होते हैं।

किशोर न्याय में नैतिक विचार

फिर, गॉल्ट के अनुसार, किशोर न्यायालयों में न्यायाधीशों, अभियोजकों और वकीलों की नैतिक अपेक्षाओं को स्पष्ट और परिष्कृत करना ज़रूरी है। आज, जब जवाबदेही की माँग बढ़ रही है, एक सामान्य नैतिक संहिता बनाना आवश्यक हो गया है, जो न्यायिक आचरण के मानकों से मेल खाए।

साथ ही, इंटरनेट और तकनीकी नवाचारों ने किशोर न्याय प्रणाली को भी प्रभावित किया है। इंटरनेट के प्रयोग ने प्रशासन में बदलाव लाए हैं, लेकिन इससे प्रथम संशोधन अधिकारों और उचित प्रक्रिया के बीच संघर्ष भी बढ़ा है, विशेषकर स्कूल हिंसा जैसे मामलों में (नीत्ज़, 2011)। तेजी से बढ़ती तकनीक, इंटरनेट और वैश्वीकरण के प्रभाव ने किशोर न्याय के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है, विशेषकर अधिकार क्षेत्र, पहचान और युवाओं से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में।

1. बाल अधिकार

यह खंड बाल अधिकारों पर आधारित किशोर न्याय प्रणाली की संरचना की समीक्षा करता है, विशेषकर बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में। अनुच्छेद 40 विशेष रूप से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अपराधीकरण पर रोक और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार की बात करता है। CRC के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति "बच्चा" माना जाता है (गुराहू, 2016)। बाल अधिकार कन्वेंशन और सामान्य टिप्पणी 10 न्यूनतम अपराधीकरण आयु 12 वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह मानक व्यापक रूप से लागू नहीं है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अपराधीकरण को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, क्योंकि इससे बच्चों की सुरक्षा और अधिकार खतरे में पड़ते हैं। इसके अलावा, यह न्यूनतम आयु मानक सभी बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता, खासकर विविध वैश्विक संदर्भों में।

2. गोपनीयता और निजता के मुद्दे

किशोर न्याय प्रणाली में रिकॉर्ड की गोपनीयता पुनर्वास को बढ़ावा देने और कलंक से बचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुरुआत में इसे किशोरों की मदद करने वाले दयालु दृष्टिकोण के रूप में देखा गया था। लेकिन आधुनिक तकनीक, मीडिया का प्रभाव और अपराध के लिए जवाबदेही की मांग ने गोपनीयता पर नई चुनौतियाँ पैदा की हैं, जिससे रिकॉर्ड सार्वजनिक होने लगे हैं।

निष्कर्ष

यह लेख अमेरिका में किशोर न्यायालय की उत्पत्ति, प्रकार और वर्तमान सुधारों का सार प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना युवाओं के पुनर्वास, अधिकारों की रक्षा और समाज की सुरक्षा के उद्देश्य से हुई थी। हालांकि, वर्षों में प्रणाली में कई चुनौतियाँ और असहमतियाँ आई हैं। फिर भी, किशोर न्यायालय आज भी हस्तक्षेप और पुनर्वास का प्रभावी माध्यम बना हुआ है।

संदर्भ :

सी. क्विन, एम. (2012)। *परिचय: गॉल्ट से ग्राहम और उससे आगे किशोर न्याय में विकसित होते मानक।* [पीडीएफ]

सी फेल्ड, बी. (2007)। *अप्रतिबंधित दंड: किशोर आपराधिक जिम्मेदारी और एलडब्ल्यूओपी सजा।* [पीडीएफ]

एस. स्कॉट, ई. और ग्रिसो, टी. (1997)। *किशोरावस्था का विकास: किशोर न्याय सुधार पर एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य।* [पीडीएफ]

गेबो, ई. (2002)। *किशोर न्याय सुधार: दो प्रणालियों की कहानी।* [पीडीएफ]

एम. ब्लैंकले, के. और कैलडवेल जिमेनेज, ए. (2019)। *नेब्रास्का में पुनर्स्थापनात्मक न्याय और युवा अपराधी।* [पीडीएफ]

एन. बर्लिंगर, ई. (2014)। *युवा कारावास: पुनर्स्थापनात्मक न्याय और सामाजिक कार्य अभ्यास।* [पीडीएफ]

वुड, के. (2014)। *हमारे बच्चों के भविष्य को बहाल करना: पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रथाओं के माध्यम से असमान स्कूल अनुशासन को समाप्त करना।* [पीडीएफ]

टी. रसेल, एस., वुड, एस., और डोमियर, एस. (1998)। *G98-1366 अपने समुदाय में किशोर विचलन की स्थापना करना।* [PDF]

मैकिनी, के. (2014)। *जीवन के बारे में सब कुछ: कोलोराडो किशोर विचलन कार्यक्रम में सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों का विश्लेषण करना।* [PDF]

डन, सी. (2008)। *हमारे युवाओं को अपराधियों की तरह जीने के लिए मजबूर करना: बच्चों को वयस्कों की तरह कैद करना।* [PDF]

फ्रेट्टी, एच. (2017)। *किशोर न्याय प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर जैसा कि नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पहचाना गया है।* [पीडीएफ]

ए स्टोडर्ड डेयर, पी., ए मैलेट, सी., और बोइटेल, सी. (2011)। *मानसिक स्वास्थ्य विकारों और किशोर हिरासत के बीच संबंध।* [पीडीएफ]

अब्दुल्ला, जेड. (2014)। *माता-पिता के किशोरों द्वारा डायवर्सन आदेशों के अनुपालन की निगरानी के अनुभव।* [पीडीएफ]

ऐनी लैबे, पी. (2015)। *स्कूल के बाद और गर्मियों के कार्यक्रमों का एक अध्ययन: हाशिए पर पड़े समुदायों में किशोरों के लिए कानून से संबंधित युवा शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता।* [पीडीएफ]

बेनेडेटो नीत्ज़, एम. (2011). *एक अनूठी पीठ, एक सामान्य संहिता: किशोर न्यायालय में न्यायिक नैतिकता का मूल्यांकन।* [पीडीएफ]

गुरुहू, जे. (2016). *बाल न्याय अधिनियम के अनुसार किशोरों को सज़ा देना: इस सिद्धांत के अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन कि हिरासत को अंतिम उपाय के रूप में और केस लॉ में कम से कम समय के लिए होना चाहिए।* [पीडीएफ]

लैप, के. (2015). *अपराध का डेटाबेस बनाना।* [पीडीएफ]